न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील सख्या:– 12 / 87 / 2021

अपीलार्थी:–
श्री प्रताप सिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस
बहरोड जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला
कलक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—— दिनांकः–24.05.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.03.2021 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलव किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 18.05.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रांक 866 दिनांक 27.04.21, एवं 918 दिनांक 18.05.21 से जवाब/वांछित सूचना उपलब्ध करने हेतु लिखा गया था, लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1005–06 दिनांक 05.05.21 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 12.03.21 को लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट अलवर को प्रस्तुत किया गया, अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ कलैक्ट्रैट अलवर से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 1005–06 दिनांक 05.05.21 के माध्यम से वांछित सूचना अविलम्व उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था उसके उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब नही भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई गयी है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है किया कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी को सूचना निः शुल्क उपलब्ध करावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
6. प्रायः यह देखने में आया है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अन्तर्गत आवेदको द्वारा वाछित सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ द्वारा समय पर उपलब्ध नही कराई जाती है जिससे न्यायालय में अनावश्यक अपीलें दायर करनी पडती है–जो उचित प्रतीत नही होता है, अतः प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ को समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक **24.05.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर,अलवर
अलवर (राज०)